



2026:AHC:41788-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या-24365/2013

फूल चंद

.....याचिकाकर्ता

बनाम

सचिव के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य और 10 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: विवेक सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: राजीव सिंह(स्थायी अधिवक्ता), महेश नारायण सिंह, सस्मिता श्रीवास्तव

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंशाली,

माननीय मुख्य न्यायमूर्तिक्षितिज शैलेंद्र,

1. 27.10.2026 को जब मामला न्यायालय के समक्ष आया, तो याचिकाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं था।, इसलिए मामले को 24.02.2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
2. आज भी याचिकाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं था।
3. ऐसा प्रतीत होता है कि समय बीतने के कारण याचिकाकर्ता ने याचिका में रुचि खो दी है। अतः इसे कार्यवाही न करने के कारण निरस्त किया जाता है।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंशाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

24 फरवरी, 2026

एसएल/ए.एच.ए

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”